फर्द अहकाम

नाम न्यायालय –न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण
छोटी | | छोटी व अन्य

केस संख्या 1(3)/25 (2025/348 online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
7.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रामचन्द्र मीना ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि विवादित भूमि की मौके कि वास्तविक स्थिति क्या हैं, अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये ग्राम बूडथल प.ह. बूडथल भू.अभि.नि.क्षैत्र कानोता तहसील बस्सी जयपुर की विवादित आराजी खसरा नम्बर 329, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 589, 597, 598, 599 कुल किता 11 कुल रकबा 2.0700 है0. के संबंध में अप्रार्थीगणों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 11/08/2025 तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। इस आदेश की प्रति के साथ इस प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र की प्रति वाद पत्र की प्रति एवं सभी दस्तावेजों की प्रति जरिये रजि0 डाक पत्र के अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी होकर इस आशय का प्रमाण पत्र एक दिवस में प्रस्तुत करें। नोटिस जारी होकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 11/08/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
…w	पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाने पर भी हाजिर नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता इक्त प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट को अग्रसर नहीं करना चाहते हैं। अतः इक्त प्रा० पत्र अदम हाजरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।	